बिहार सरकार

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

सं0सं0–6 / निदे0 (TRI) –116–01 / 2022– 4998

संकल्प

पटना, दिनांक– 21/12/2022

विषयः–''बिहार अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान'' की स्थापना हेतु विभिन्न कोटि के कुल 24 पदो के सृजन करने की स्वीकृति।

जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–11024 / 1 / 2017–PA दिनांक–14.12.2017 द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका के आलोक में केन्द्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme) के तहत् राज्य सरकार के द्वारा बिहार राज्य में जनजातीय शोध संस्थान की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है।

2. पूर्ववर्ती बिहार राज्य में बिहार जनजातीय शोध संस्थान, रॉची में संचालित थी जो पूर्ण रूप से एक सरकारी संस्था थी एवं एक निदेशालय के रूप में कार्य करती थी। राज्य के बंटवारा के पश्चात् यह संस्थान झारखंड राज्य में चली गई। बिहार राज्य के अनुसूचित जनजाति के लिए संचालित योजनाओं तथा नई योजनाओं को लागू करने में परामर्श देने, संबंधित विभिन्न विषयों पर शोध करने, विभिन्न अधिनियमों / नियमावली पर विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्य हेतु बिहार राज्य में जनजातीय शोध संस्थान की स्थापना की परिकल्पना की गई। जिससे राज्य की लगभग 1.28% अनुसूचित जनजाति की आबादी लाभान्वित होंगे।

3. केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत् जनजातीय शोध संस्थान के संचालन हेतु सहायता दी जाती है। इस योजना के दिशा–निदेश के अनुसार संस्थान में सृजित पदों पर व्यय राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

4. जनजातीय और गैर जनजातीय आबादी के बीच विकास के अंतर को पाटकर उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने के साथ–साथ उनकी संस्कृति, रीति–रिवाज, व्यवहार एवं भाषा की विशिष्टता को संरक्षित रखने के लिए अनुसंधान, अभिलेखन, कार्यशाला प्रशिक्षण तथा क्षमता विस्तार हेतु सूचना का प्रसार एवं जागरूकता उत्पन्न करना है।

5. राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में ''बिहार अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान'' की स्थापना हेतु विभिन्न कोटि के 24 पदों के सृजन किया जाना है, जो निम्नरूपेण है :–

क्र0 सं0	पदनाम	पदों की संख्या
1	2	3
1	निदेशक (भा0प्र0से0, संयुक्त सचिव स्तर)	01
2	उप निदेशक (बि0प्र0से0)	01
3	सहायक निदेशक (बिहार अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण पदाधिकारी कल्याण सेवा संवर्ग में अतिरिक्त पद का सृजन)	01
4	शोध पदाधिकारी (बिहार गजेटियर्स शोध पदाधिकारी सेवा संवर्ग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से प्रतिनियुक्ति)	02

5	लेखा पदाधिकारी (बि0वि0प्र0से0, वित्त विभाग से प्रतिनियुक्ति)	01
6	अन्वेषक (नया पद सृजन)	04
7	प्रधान लिपिक (बिहार अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण लिपिकीय संवर्ग में अतिरिक्त पद सृजन)	1
8	उच्चवर्गीय लिपिक लिपिक (बिहार अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण लिपिकीय संवर्ग में अतिरिक्त पद सृजन)	2
9	निम्नवर्गीय लिपिक लिपिक (बिहार अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण लिपिकीय संवर्ग में अतिरिक्त पद सृजन)	4
10	आशुलिपिक (नया पद सृजन)	2
11	सांख्यिकी सहायक (बिहार अवर सांख्यिकी सेवा संवर्ग, योजना एवं विकास विभाग से प्रतिनियुक्ति)	4
12	पुस्तकाध्यक्ष (नया पद सृजन)	1
	कुल	**24**

6. उक्त निर्णय के आलोक में सम्यक् विचारोपरांत संलग्न विवरणी के अनुरूप उपर्युक्त पदों के सम्मुख अंकित वेतनस्तर में कुल–₹1,89,95,340 (एक करोड़ नवासी लाख पनचान्वे हजार तीन सौ चालीस रूपये) मात्र के वार्षिक व्यय एवं अन्य सेवा संवर्गो हेतु समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत भत्तों के अनुमानित भार पर स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय में स्थायी रूप से उपर्युक्त कंडिका–5 में उल्लिखित कुल–24 (चौबीस) पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

7. प्रस्तावित व्यय भार स्थापना एवं प्रतिबद्ध मद से मुख्य शीर्ष–2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण के अंतर्गत विकलनीय होगा।

8. इसमें प्रशासी पदवर्ग समिति की स्वीकृति, वित्त विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

9. प्रस्ताव पर दिनांक–29.11.2022 को मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या–22 के रूप स्वीकृति प्राप्त है।

अनुलग्नक–व्यय विवरणी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(दिवेश सेहरा)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक–6 / निदे0 (TRI) –116–01 / 2022– 4998 **पटना, दिनांक**– 21/12/2022

प्रतिलिपि–हस्ताक्षरित प्रति अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को इसे राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ एवं विभाग को 1500 अतिरिक्त प्रतियाँ भेजने हेतु अग्रसारित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक–6/निदे0 (TRI) –116–01/2022– 4998 पटना, दिनांक–21/12/2022

प्रतिलिपि–हस्ताक्षरित प्रति प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग को हार्ड कॉपी (दो प्रति) एवं सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक–6/निदे0 (TRI) –116–01/2022– 4998 पटना, दिनांक–21/12/2022

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक–6/निदे0 (TRI) –116–01/2022– 4998 पटना, दिनांक–21/12/2022

प्रतिलिपि–कोषागार पदाधिकारी, सिंचाई भवन/विकास भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक–6/निदे0 (TRI) –116–01/2022– 4998 पटना, दिनांक–21/12/2022

प्रतिलिपि–मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग/प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना प्रमण्डल, पटना/निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग/जिला पदाधिकारी, पटना/उप विकास आयुक्त, पटना/उप निदेशक (क0), पटना/जिला कल्याण पदाधिकारी, पटना/आई0टी0 मैनेजर, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक–6/निदे0 (TRI) –116–01/2022– 4998 पटना, दिनांक–21/12/2022

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक–6/निदे0 (TRI) –116–01/2022– 4998 पटना, दिनांक–21/12/2022

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव